



प्रेस विज्ञप्ति
20.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम कार्यालय ने 18 जुलाई 2024 को मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल), प्रमोटर्स गौरव अग्रवाल, मोहेंदर अग्रवाल और अन्य जुड़े व्यक्तियों अर्थात् राव दान सिंह (विधायक-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र), अक्षत सिंह और उनकी संस्थाओं, मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), महेंद्रगढ़ (हरियाणा) और जमशेदपुर (झारखंड) में 16 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने सीबीआई, ईओ-आई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने धन की हेराफेरी और विचलन, आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि के जरिए धोखाधड़ी की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1392.86 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ है।

अपनाई गई कार्यप्रणाली में बैंकों से उधार ली गई धनराशि को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों में भेजना, अपने विभिन्न देनदारों के ऋणों को माफ करना, फर्जी लेनदेन आदि करना और बदले में नकदी लेना शामिल था। इस धनराशि को जमीन खरीदने और अन्य दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए निवेश किया गया था। यह पाया गया है कि तलाशी ली गई संस्थाओं ने अपने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की है।

तलाशी अभियान में समूह की संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसरों से 1.42 करोड़ रुपये की नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीनें, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट आदि की पहचान और जब्ती हुई है, जिसमें राव दान सिंह, विधायक के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाएं भी शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।